

19.08.25

वकील वादी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर पत्रावली वैशी में ली गई। वादी द्वारा अपना वादपत्र नोट-प्रेस किया गया। अतः नोट-प्रेस के आधार पर वादी का यह वादपत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली काद तरतीब तकमील होकर दायिल दफ्तर है।

निर्णय लिखाया जाकर पुले न्यायालय में सुनाया गया।



(सुनीलकुमार-गौदान)
RAS

दाद-पत्र
NOTE
press
by me
आशुवती
g. by me
Prasad